न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

(Bank Case)

प्रकरण संख्या- 87 /2022

''एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस–त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रिज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पान्डुरंग बुद्वकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400025 ब्रांच ऑफिस जी–9, महिमा ट्रिनटी मॉल, स्वेज फार्म, जयपुर जर्ये प्राधिकृत अधिकारी पुनीत माथुर

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. जितेन्द्र पारेता पुत्र लाल चन्द पारेता
   निवासी म.नं. 4 सी 28, महावीर नगर–3, कोटा 324005
   अन्य पताः– फ्लेट नं. ए–706, सातवां फलोर, कोटा 324001
2. श्रीमति लक्ष्मी मेवाडा
   निवासी म.नं. 4 सी 28, महावीर नगर–3, कोटा 324005
   अन्य पताः– फ्लेट नं. ए–706, सातवां फलोर, कोटा 324001

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री सौरभ सुमन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 07-06-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ''एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस – त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रिज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पान्डुरंग बुद्वकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400025 ब्रांच ऑफिस जी–9, महिमा ट्रिनटी मॉल, स्वेज फार्म, जयपुर से अप्रार्थीगण ने रूपये 28,57,227/– (अक्षरेः रूपये अठाईस लाख, सत्तावन हजार, दो सौ सत्ताईस मात्र) जरिये ऋण अनुबंध सं. PHR022801718204 दिनांक 05.02.2016 को ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय फ्लेट नं. ए–706, सातवां फलोर, ओम अरबन हाईटस, कोटा पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1025 वर्ग फीट है, जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में रोड, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– प्लॉट नं. 4 है, जो जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 11.02.16 से जितेन्द्र पारेता पुत्र श्री लाल चन्द पारेता के नाम से जारी किया गया है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 11.01.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 27,37,840/– (अक्षरे रूपये सत्ताईस लाख, सेतीस हजार, आठ सौ चालीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 20.04.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 20.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये,नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 20.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 20.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आवासीय फ्लेट नं. ए–706, सातवां फलोर, ओम अरबन हाईटस, कोटा पर स्थित है जिसका क्षैत्रफल 1025 वर्ग फीट है, जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में रोड, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– प्लॉट नं. 4 है, जो जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 11.02.16 से जितेन्द्र पारेता पुत्र श्री लाल चन्द पारेता के नाम से जारी किया गया है**, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 07.06.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)